कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 34/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस- विज्ञप्ति

मेंहनगर जनपद आजमगढ़

चोरी के टुल्लु व अवैध तमंचा के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 14.10.2025 को वादी अजय कुमार यादव द्वारा थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी आशीष पुत्र मुन्नीलाल सा0 सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा अपने साथी अफसाद पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ के साथ मिलकर शिवम नेशनल हाईस्कूल देवरिया स्कूल की ताला तोड़कर डेस्कटाप, कैलकुलेटर, तथा आलमारी से दो हजार रूपया चोरी किये थे जिसके संबंध में मु0अ0स0 466/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 22.01.2026 को उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त आशीष पुत्र मुन्नीलाल सा0 सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष को मगई नदी पुल से करीब 100 m उत्तर तरफ समय करीब 05.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके जामा तलाश से एक तमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा एक अदद टूल्लू पम्प सम्बन्धित मु0अ0सं0 466/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस का बरामद हुआ। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पकडे गये व्यक्ति का कृत्य 331(4)/305/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 का दण्डनीय अपराध है बरामद तमंचे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर पर पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- आशीष पुत्र मुन्नीलाल सा0 सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- एक तमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व अदद टूल्लू पम्प

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 24/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 24/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर
2. मु0अ0स0 466/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना मेंहनगर
3.मु0अ0सं0 73/2023 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर
4.मु0अ0सं0 362/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट।

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय हमराह हे0का0 नागेश्वर लाल वर्मा, का0 चन्दन राय, का0 नीरज कुमार।

प्रेस- विज्ञप्ति
मेंहनगर जनपद आजमगढ़
चोरी की पायल, अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 17.10.2025 को वादिनी कौशिल्या देवी पत्नी स्व0 महेन्द्र राम निवासी रामपुर बढौना थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि वादिनी के रामपुर बढौना मे एक घर मे सेंध लगाकर चोरी की गई जिसमें थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 470/25 धारा 331(4)/305 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 22.01.2026 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त अनीश उर्फ भोदू पुत्र अजीज निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 36 वर्ष को गहुनी राजधरपुर बार्डर पुलिया से समय 05.40 बजे एक अदद तमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 1000 रुपये एवं एक जोड़ी पायल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त **अनीश उर्फ भोदू** ने अपने साथी **जावेद उर्फ सोनू, रईस व कलामुद्दीन** के साथ मिलकर ग्राम **रामपुर बढ़ौना** में रात्रि के समय घर में सेंध लगाकर **दाल, चावल, गेहूं एवं गहनों** की चोरी की, जिसमें चोरी किया गया गेहूं व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली गई। अभियुक्त अनीश के हिस्से में **एक जोड़ी पायल** आई, जबकि शेष गहने जावेद के पास रहे। अभियुक्त पायल को बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। वादिनी द्वारा पायल की पहचान दिनांक **17.10.2025** की चोरी की बताई गई। अभियुक्त का उक्त कृत्य **धारा 331(4)/305/317(2) BNS एवं 3/25 Arms Act** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। पकडे गये व्यक्ति का कृत्य अन्तर्गत धारा 331(4)/305/317(2) BNS व 3/25 A.ACT का दण्डनीय अपराध है बरामद तमंचे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर पर पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- अनीश उर्फ भोदू पुत्र अजीज निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- एक तमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा 1000 रुपये व एक जोड़ी पायल

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 25/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 25/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर
2. मु0अ0स0 504/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना मेंहनगर
3.मु0अ0सं0 470/2023 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मेंहनगर
4.मु0अ0सं0 284/2021 धारा 34/307/323/504/506/452 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क SC/ST ACT थाना मेंहनगर
5.मु0अ0सं0 37/2020 धारा 323/354/354ख/427/504/506 भादवि थाना जहानागंज।

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह का0 अभिषेक यादव, का0 दीपक यादव, का0 अभिमन्यु शाह व उ0नि0 मो0 आलम मय हमराह का0 जमीदार विश्वकर्मा, तथा का0 जयकिशन थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।